न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – रेखा गुर्जर (आर ए एस)
मुकदमा नम्बर 136 / 2025 राजस्व वाद

01 मदनलाल पुत्र लालचन्द भंडारी जाति महाजन निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 नेमीचन्द पुत्र छीतरमल बोहरा जाति महाजन निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. कंचन देवी पुत्री मीठालाल जाति महाजन निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –प्रतिवादीगणगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
बाबत विभाजन आराजियात

स्थित :–
श्री अशोक कुमार लखारा –अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय– – प्र.सं. 01
पेरोकार सरकार ——प्रति.सं. 02

:: निर्णय ::

दिनांक– 15 / 12 / 2025

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53,54 राज0 टिनेन्सी एक्ट तहत प्रस्तुत कर सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील ड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई दे मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की दुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये स्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध ावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को राते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। एवः

आदेश

सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) के खाता सख्या 960 के आराजी नम्बर 2205, 2206, 2207, 2208, कुल किता 04 कुल 0.2009 हैक्टयर है, मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार ानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है

खातेदार का नाम– नेमीचन्द पुत्र छितरमल महाजन बोहरा हिस्सा 1 / 2 सा0 करेडा तहसील करेडा मदनलाल पुत्र लालचन्द भंडारी हिस्सा 1 / 2जाति महांजन सा0 भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला वाड़ा खातेदार के नाम पर

.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

01.	2205 ए	0.0506 हैक्टयर
02	2206ए	0.0126 हैक्टयर
03	2208ए	0.0822 हैक्टयर
योग	किता 03	0.1454 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम— कंचन देवी पुत्री मीठालाल हिस्सा सम्पुर्ण जाति महाजन सा0 देह खातेदार के नाम पर—

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	2205 बी	0.0253 हैक्टयर
02	2206 बी	0.0380 हैक्टयर
03	2207 बी	0.0253 हैक्टयर
04	2208 बी	0.0569 हैक्टयर
योग	किता 04	0.1455 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अ
हन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)